(42)

न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

तारीख फैसला
13.05.2023

/2023

उनवान

1– मूलीबाई उर्फ भूलीबाई, पुत्री रघुनाथ, पत्नी रामस्वरूप जी जाति महाजन निवासी ग्राम मोराना तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवास अन्ता तहसील अन्तमा जिला बारा राज0

(वादनी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादीनी की ओर से — श्री अनिल खण्डेलवाल एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से— तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वादनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :—

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम मोराना तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बरान 642, 726, 747, 759 की कुल 9.94 हेक्टर भूमि वादनी एवमं अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। उपरोक्त भूमि वादनी व अन्य सहखातेदारान की पुश्तैनी भूमि है।

यह कि उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी भूलीबाई दर्ज है। जो इंतकाल खोलते समय सहवन से दर्ज हो गया जबकि वादनी का नाम मूलीबाई है।

यह कि वादनी के आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड में व पंचायत तस्दीक में वादनी का नाम मूलीबाई दर्ज है इस कारण राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम भूलीबाई के स्थान पर मूलबाई दर्ज किया जाना आवश्यक हो गया है। यदि नाम की दुरूस्ती नहीं की गयी तो वादनी को भविष्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पडेगा।

यह किइस सम्बन्ध में वादनी ने प्रतिवादी से दिनांक 07.09.2022 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नही दिया ओर मना कर दिया तथा अदालत से आदेश लाने को कहा जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद प्रस्तुत कर वादी का निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि:—

अतः वादी ने निवेदन किया है कि ग्राम मोराना तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बरान 642, 726, 747, 759 की कुल 9.94 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज.)

...का नाम भूलीबाई के स्थान पर मूलीबाई दर्ज किया जाने व राजस्व रिकॉर्ड में ...किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्ध आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

...वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई ...तिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में भूली बाई व मूली बाई एक ही महिला होना प्रकट किया है। वादनी द्वारा साक्ष्य में स्वंय का शपथ पत्र एवं अन्य सहखातेदार का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जो शामिल फाईल है।

वादनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादनी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मोराना तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बरान 642, 726, 747, 759 की कुल 9.94 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम भूलीबाई के स्थान पर मूलीबाई दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में सुनाया गया।

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज.)

(45)

मूल वाद में डिग्री

न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

उनवान

मूलीबाई उर्फ भूलीबाई, पुत्री रघुनाथ, पत्नी रामस्वरूप जी जाति महाजन निवासी ग्राम मोराना तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवास अन्ता तहसील अन्तमा जिला बारा राज0

(वादनी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादीनी की ओर से – श्री अनिल खण्डेलवाल एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती
मिसल नं 36/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – : वादनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मोराना तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बरान 642, 726, 747, 759 की कुल 9.94 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम भूलीबाई के स्थान पर मूलीबाई दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 13.05.2023 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
थमलान	0	0	मिलान	0	0

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज.)

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज.)